



**कार्यालय :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची**

वन भवन, डोरण्डा, राँची

e-mail :- apccf-development@gov.in, Phone No. 0651-2481813



पत्रांक : 01/यो0बजट-31/2015-825 दिनांक : 29/6/18

प्रेषक,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास  
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन संरक्षक, वनरोपण, शोध एवं मूल्यांकन, राँची/  
वन संरक्षक एवं राज्य वन वृक्ष विज्ञानी, राँची

**विषय :-** वित्तीय वर्ष 2018-19 में कार्यान्वित की जाने वाली "प्रशिक्षण, प्रचार-प्रसार, अनुसंधान एवं मूल्यांकन योजना" (अन्य व्यय) के अंतर्गत साल एवं उसके सहयोगी पौधों का शोध हेतु ट्रायल वनरोपण तथा सकल से सीसल एवं बुलबिल वृक्षारोपण का तुलनात्मक अध्ययन का सम्पोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष) के लिए कुल **रु0 5.640 लाख (पाँच लाख चौंसठ हजार रुपये)** मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment) ।

**प्रसंग:-** विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/यो0बजट-50/2015-08/ व0प0 दिनांक 12.06.2015 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04/यो0बजट-50/2015-41/आ0 व0प0 दिनांक 09.05.2018 ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष-2406 वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष- 01 वानिकी, लघु शीर्ष- 101 वन संरक्षण, विकास तथा सम्पोषण, उप शीर्ष-60 प्रशिक्षण, प्रचार-प्रसार, अनुसंधान एवं मूल्यांकन योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में से कुल **रु0 5.640 लाख (पाँच लाख चौंसठ हजार रुपये)** मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है :-

| प्राथमिक इकाई       | विपत्र कोड         | (राशि लाख में) |
|---------------------|--------------------|----------------|
| मजदूरी              | 19S240601101600103 | 5.156          |
| आपूर्ति एवं सामग्री | 19S240601101600323 | 0.484          |
| कुल :-              |                    | 5.640          |

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उप आवंटन आदेश के **अनुलग्नक-1 (क) एवं (ख)** पर वर्णित वन संरक्षक, होंगे जो अपने समुख अंकित कार्यों की राशि से अपने-अपने कार्यालयों के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं इस कार्यालय को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। कार्यदर **अनुलग्नक-2 (क) से (ख)** तथा ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति **अनुलग्नक-3** एवं पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या- 19S240601101600103 तथा 19S240601101600323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

9/28/18

4. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा योजनान्तर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को अवगत कराया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के नियंत्री पदाधिकारियों यथा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, झारखण्ड, राँची तथा मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान, झारखण्ड, राँची द्वारा योजना के कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा एवं निरीक्षण प्रतिवेदन की एक प्रति इस कार्यालय को अभिलेख हेतु प्रेषित करेंगे।
5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं हो।
6. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 के आलोक में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में उप आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा तत्सम्बन्धी पत्र परिपत्र का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
7. सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा राशि की निकासी एवं व्यय झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत दिशा-निर्देशों के अनुरूप करना सुनिश्चित किया जायेगा।
8. योजना के कार्यान्वयन से पूर्व इनके प्राक्कलन पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो।
9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी दर में मजदूरों को भुगतान श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के निर्धारित दर तक सीमित रहेगा एवं भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/ डाक घर खाते के माध्यम से ही किया जायेगा, साथ ही सामग्री के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
10. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसके लिए दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।
11. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के संकल्प संख्या-940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जाएगी।
12. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार में अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनकी दर विभागीय अधिसूचना सं०-2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।



13. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

14. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी एवं उनके नियंत्री पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि चतुर्थ वर्ष के लिए उप आवंटित राशि का व्यय करने के पूर्व शोध वनरोपण के कार्यदर के क्रमांक 5 में वर्णित कार्यों से संबंधित ऑकड़ों का संग्रहण एवं संकलन से संबंधित प्रतिवेदन इस कार्यालय को उपलब्ध कराने के उपरान्त ही वनरोपण स्थल पर पौधों की उत्तरजीविता के अनुरूप राशि का व्यय किया जाएगा।

**अनुलग्नक :- यथोक्त ।**

विश्वासभाजन,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01/यो0बजट-31/2015-825 दिनांक-29/6/18

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, झारखण्ड, राँची/ मुख्य वन संरक्षक, शोध, झारखण्ड, राँची/ इनविस सेन्टर, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**अनुलग्नक :- यथोक्त ।**

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01/यो0बजट-31/2015-825 दिनांक-29/6/18

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**अनुलग्नक :- यथोक्त ।**

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची

अनुलग्नक-1 (क)

वित्तीय वर्ष 2018-19 में कार्यान्वित की जाने वाली "वन सर्वेक्षण कार्य नियोजना, शोध एवं मूल्यांकन" योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत साल एवं उसके सहयोगी पौधों का शोध हेतु ट्रायल वनरोपण का सम्पोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष) का प्रस्तावित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी :- वन संरक्षक, वनरोपण, शोध एवं मूल्यांकन, राँची

(राशि लाख में)

| क्र० सं० | कार्य विवरणी/ भौतिक लक्ष्य   | वित्तीय वर्ष 2017-18 (तृतीय वर्ष) |                     |          |
|----------|--|-----------------------------------|---------------------|----------|
|          |  | मजदूरी                            | आपूर्ति एवं सामग्री | कुल राशि |
| i        | ii   | vi                                | vii                 | viii     |
| 1        | शोध एवं मूल्यांकन प्रक्षेत्र, महेशपुर में साल पौधों का ट्रायल वनरोपण, (10 हे०) | 1.579                             | 0.145               | 1.724    |
| 2        | शोध एवं मूल्यांकन प्रक्षेत्र, देवघर में साल पौधों का ट्रायल वनरोपण (10 हे०)    | 1.579                             | 0.145               | 1.724    |
| 3        | शोध एवं मूल्यांकन प्रक्षेत्र, गम्हरिया में साल पौधों का ट्रायल वनरोपण (10 हे०) | 1.578                             | 0.145               | 1.723    |
| योग :-   |  | 4.736                             | 0.435               | 5.171    |

अनुलग्नक-1 (ख)

वित्तीय वर्ष 2018-19 में कार्यान्वित की जाने वाली "वन सर्वेक्षण कार्य नियोजना, शोध एवं मूल्यांकन" योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत विभिन्न सकर से सीसल एवं बुलबिल वृक्षारोपण का तुलनात्मक अध्ययन का सम्पोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष) का प्रस्तावित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी :- वन संरक्षक एवं राज्य वन वृक्ष विज्ञानी, झारखण्ड, राँची

(राशि लाख में)

| क्र० सं०   | कार्य विवरणी/ भौतिक लक्ष्य   | वित्तीय वर्ष 2017-18 (तृतीय वर्ष) |                     |          |
|------------|--|-----------------------------------|---------------------|----------|
|            |  | मजदूरी                            | आपूर्ति एवं सामग्री | कुल राशि |
| i          | ii   | vi                                | vii                 | viii     |
| 1          | सकर से सीसल वृक्षारोपण एवं बुलबिल वृक्षारोपण का तुलनात्मक अध्ययन हेतु प्रस्ताव | 0.420                             | 0.049               | 0.469    |
| योग :-     |  | 0.420                             | 0.049               | 0.469    |
| सकल योग :- |  | 5.156                             | 0.484               | 5.640    |

विभागीय स्वीकृतिदेश संख्या 4/यो0ब0-50/2015- 08/स्वी0 व0प0 दिनांक 12.06.2015

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची

**वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए साल एवं उसके सहयोगी पौधों का शोध हेतु  
ट्रायल वनरोपण का कार्य दर तालिका (10 हे० के लिए)**

मजदूरी : रु 187.43 प्रति मानव दिवस

पौधों की दूरी - 3 मी० x 2 मी०

पौधों की संख्या - 1600 प्रति हेक्टेयर

1000 - साल एवं 600 - उसके सहयोगी (हर्रे, बहेरा, बीजा साल, कुसुम, महुआ, करम, पीयार, सेमल, आसन, अर्जुन, ओवला आदि)

| क्र०<br>सं० | कार्य का विवरण   | दर प्रति हेक्टेयर |                  |                 | योग              |
|-------------|--|-------------------|------------------|-----------------|------------------|
|             |  | मानव<br>दिवस      | मजदूरी           | सामग्री         |                  |
| i           | ii   | iii               | iv               | v               | vi               |
| (A)         | <b>वित्तीय वर्ष 2018-19 में सम्पोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष)</b>  |                   |                  |                 |                  |
| 1           | एक कोड़नी-निकौनी   | 200               | 47476.00         | 0.00            | 47476.00         |
| 2           | सामग्री (उर्वरक, खाद, रसायन multi nutrient आदि)।   |                   | 0.00             | 10000.00        | 10000.00         |
| 3           | पौधों की सुरक्षा (एक व्यक्ति पूरे वर्ष) 25 हे० क्षेत्रफल तक के लिए।  | 365               | 86643.70         | 0.00            | 86643.70         |
| 4           | गड़ढ़ा घेरान की मरम्मत   | 50                | 11869.00         | 0.00            | 11869.00         |
| 5           | पौधों की अतिरिक्त शाखाओं की कटाई-छंटाई, झाड़ी-सफाई, पौधों की मापी, आँकड़ों का संग्रहण एवं संकलन आदि कार्य। | 50                | 11869.00         | 3000.00         | 14869.00         |
| 6           | विविध कार्य (छायांकन एवं प्रसार सहित)।   | 0                 | 0.00             | 1500.00         | 1500.00          |
|             | <b>योग :-</b>  | <b>665</b>        | <b>157857.70</b> | <b>14500.00</b> | <b>172357.70</b> |

विभागीय स्वीकृतिदेश संख्या 4/यो0ब0-50/2015-08 दिनांक 12.06.2015

प्रधान मुख्य वन संरक्षण विकास,  
झारखण्ड, राँची

**वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए सकर से सीसल वृक्षारोपण एवं बुलबिल वृक्षारोपण का तुलनात्मक अध्ययन हेतु कार्य दर तालिका**

वित्तीय वर्ष 2015-16 में बुलबिल से सीसल वृक्षारोपण हेतु स्वीकृत क्षेत्र में से (01) एक हे० घेरान कर एवं इसी प्लोट से सटा हुआ एक (01) हे० में सकर पौधों से पौधारोपण कर तुलनात्मक अध्ययन किया जायेगा एवं यह ज्ञात किया जायेगा कि दोनों वृक्षारोपण एक-एक हे० के पौधो का वृद्धि एवं विकास, पत्तों की लम्बाई, चौड़ाई, संख्या इत्यादि में क्या अन्तर है। डाटा संग्रहण हेतु एक साथ 2 हे० की राशि सकर वृक्षारोपण के प्रस्ताव में डाला गया है।

रकवा - 1 हे०                      पौधो की सं०- 6150                      पौधो की दूरी - 2 मी० x 2 मी०  
गढ़वा घेरान - 5 चेन प्रति हे०                      मजदूरी दर रु० - 237.38  
कार्य स्थल- साबानो, थाना- बालूमाथ 124, प्लोट नं०- 1246, प्रखण्ड- लातेहार, जिला- लातेहार, प्रक्षेत्र- लातेहार सीसल प्रक्षेत्र। (अक्षांश दिशान्तर)- N23° 40' 202', E-084° 34' 0289"

**दर पूर्व स्वीकृत प्रति हे० के आधार पर**

| क्र. सं. | कार्य की विवरणी  | मानव दिवस प्रति हे० | मजदूरी रु० में  | सामग्री रु० में | कुल व्यय रु० में |
|----------|--|---------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| i        | ii   | iii                 | iv              | v               | vi               |
| (A)      | <b>वित्तीय वर्ष 2018-19 (चतुर्थ वर्ष)</b>  |                     |                 |                 |                  |
| 1        | दो कोड़नी एवं निकौनी   | 145                 | 34420.10        | 0.00            | 34420.10         |
| 2        | उर्वरक एवं रसायन खाद आदि   | 0                   | 0.00            | 4133.00         | 4133.00          |
| 3        | सुरक्षा कार्य  | 12                  | 2848.56         | 0.00            | 2848.56          |
| 4        | पत्तो की लम्बाई, चौड़ाई एवं संख्या इत्यादि का डाटा संग्रहण 620 पौधा/हे० 10% रेन्डम सैम्पलिंग 2 हे० | 20                  | 4747.60         | 0.00            | 4747.60          |
| 5        | विविध कार्य (छायांकन एवं प्रसार सहित)  | 0                   | 0.00            | 750.00          | 750.00           |
|          | <b>योग :-</b>  | <b>177</b>          | <b>42016.26</b> | <b>4883</b>     | <b>46899.26</b>  |

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/यो०ब०-50/2015-08 दिनांक 12.06.2015

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची

**वित्तीय वर्ष 2018-19 में आवंटित राशि की विवरणी :-**

| TREASURY | DDO CODE  | DDO NAME       | DDO DESG                      | 19S240601101600103 | 19S240601101600323 | Total  |
|----------|-----------|----------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------|
| Dorari   | DRNFWL020 | Shri Y K Das   | Cf.Plantation Res.&Evl.Jhkd   | 473600 (36955)     | 43500 (36963)      | 517100 |
| Doranda  | DRNFWL032 | Kamlesh Pandey | Cf & State Silviculturist Jha | 42000 (36956)      | 4900 (36966)       | 46900  |

**कुल आवंटित राशि :- 564000 ( पाँच लाख चौसठ हजार ) रुपये मात्र ।**

**टिप्पणी :- (#) को आवंटन एक्सेस नंबर समझा जाए**



## आवंटन आदेश

### आरखंड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

पत्र संख्या - 01/YB-31/2015/825

दिनांक - 29-Jun-2

| क्रमांक | विपत्र कोड   | एक्सेस नं | निकासी एवं व्ययन पदा.   | आवंटित राशि                                   |
|---------|--|-----------|---|---|
| 1       | S 19 240601101600103<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण<br>60 - प्रशिक्षण, प्रचार प्रसार, अनुसंधान एवं मूल्यांकन<br>01 - वेतन एवं भत्ते<br>03 - मजदूरी<br>State Scheme              | 36955     | DRNFWL020<br>SHRI Y K DAS<br>CF.PLANTATION<br>RES.&EVL.JHKD     | 473,600.00<br>रुपये चार लाख तीहत्तर हजार छ सौ |
|         | State Scheme : TRAINING FACILITIES(0343)<br>Central Scheme : NA  |           |   |   |
| 2       | S 19 240601101600103<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण<br>60 - प्रशिक्षण, प्रचार प्रसार, अनुसंधान एवं मूल्यांकन<br>01 - वेतन एवं भत्ते<br>03 - मजदूरी<br>State Scheme              | 36956     | DRNFWL032<br>KAMLESH PANDEY<br>CF & STATE<br>SILVICULTURIST JHA | 42,000.00<br>रुपये बयालीस हजार                |
|         | State Scheme : TRAINING FACILITIES(0343)<br>Central Scheme : NA  |           |   |   |
| 3       | S 19 240601101600323<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण<br>60 - प्रशिक्षण, प्रचार प्रसार, अनुसंधान एवं मूल्यांकन<br>03 - प्रशासनिक व्यय<br>23 - आपूर्ति एवं सामग्री<br>State Scheme | 36963     | DRNFWL020<br>SHRI Y K DAS<br>CF.PLANTATION<br>RES.&EVL.JHKD     | 43,500.00<br>रुपये तीरयालीस हजार पाँच सौ      |
|         | State Scheme : TRAINING FACILITIES(0343)<br>Central Scheme : NA  |           |   |   |

योग: 559,100.00


क्रमिक योग: रुपये पाँच लाख उनसठ हजार एक सौ

(SHRI SATNAM SINGH)

CCF.D.BADHAN(MANES)RANCHI



| क्रमांक | विपत्र कोड  | एक्सेस नं                 | निकासी एवं व्ययन पदा. | आवृत्ति राशि         |
|---------|---|---------------------------|-----------------------|----------------------|
| 4       | S 19 240601101600323                                  | 36966                     | DRNFWL032             | 4,900.00             |
|         | 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी                         |                           |                       |                      |
|         | 01 - वानिकी   |                           | KAMLESH PANDEY        | रुपये चार हजार नौ सौ |
|         | 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण                    |                           |                       |                      |
|         | 60 - प्रशिक्षण, प्रचार प्रसार, अनुसंधान एवं मूल्यांकन |                           | CF & STATE            |                      |
|         | 03 - प्रशासनिक व्यय                                   |                           | SILVICULTURIST JHA    |                      |
|         | 23 - आपूर्ति एवं सामग्री                              |                           |                       |                      |
|         | <b>State Scheme</b>                                   |                           |                       |                      |
|         | State Scheme :  | TRAINING FACILITIES(0343) |                       |                      |
|         | Central Scheme :                                      | NA                        |                       |                      |



योग:


4,900.00

क्रमिक योग:

रुपये पाँच लाख चौसठ हजार

564,000.00

  
(SHRI SATNAM SINGH)

 PCCF, DISTRICT ADMINISTRATION, RANCHI